

"परिष्कार" न्याय उपाध्याय अन्याय सच्यल पखवाहा  
(दिनांक: 24.06.2025 से 09.07.2025 तक)

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प .....  
10/1/25

**-:आदेश:-**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... व भू.अ.नि. .... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ...../नायब तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम ..... तहसील ..... जिला ..... की जमाबन्दी सम्वत् ..... में खाता संख्या 60, 234, 300, 492 में वर्तमान में द प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	पलना	60	जे.सिंह पि. अकमिह	नेम सिंह पुत्र अकमिह
		234	जे.सिंह पि. अकमिह	do
		300	नेम सिंह / अकमिह	do
		492	जे.सिंह पि. अकमिह	do

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक अधिकारी, भीम  
जिला-राजसमन्द

दिनांक :-

कमांक :- 10/1/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
जिला-राजसमन्द